

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/

दिनांक:

पंचकर्म केन्द्र योजना अन्तर्गत अभ्यंगकर्मी (मसाजर) लगाये जाने हेतु बजट आवंटन

संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक:प.18(6)आयु./2016 पार्ट II दिनांक 21.08.17 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचकर्म योजना अन्तर्गत पंचकर्म केन्द्रों के लिए जॉब बेसिस पर अभ्यंगकर्मी (मसाजर) लगाये जाने की 7 माह के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः स्वीकृति अनुसार बजट मद 2210-04-796-(01)-[01] -उपमद 05 कार्यालय व्यय में उपलब्ध राशि अनुसार 6 माह हेतु निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है। राशि उपलब्ध होने पर शेष 1 माह हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन कर दिया जावेगा।

कार्यालय कोड नम्बर	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम जहाँ पंचकर्म केन्द्र पर अभ्यंगकर्मी लगाया जाना है।	आवंटित राशि (6000/-प्रतिमाह अनुसार)
2238	जि.आ.अ. चित्तौडगढ	राज जिला आयु. चिकित्सालय चित्तौडगढ	36000/-
9770	जि.आ.अ. बांसवाडा	राज जिला आयु. चिकित्सालय बांसवाडा	36000/-
4386	जि.आ.अ. बूंदी	राज आयु. चिकि. बालचन्द का पाडा-बूंदी	36000/-
11034	जि.आ.अ. डूंगरपुर	राज जिला आयु. चिकित्सालय डूंगरपुर	36000/-
3887	जि.आ.अ. सीकर	राज जिला आयु. चिकित्सालय सीकर	36000/-
8906	जि.आ.अ. सिरोही	राज आयु. चिकित्सालय माउन्ट आबू	36000/-
10681	जि.आ.अ. स.माधोपुर	राज आयु. चिकित्सालय स.माधोपुर	36000/-
11902	जि.आ.अ. झुन्झुनू	बीडीके राज.आयु. चिकि. एक छत के नीचे	36000/-
6544	जि.आ.अ. पाली	राज जिला आयु. चिकित्सालय पाली	36000/-
16246	जि.आ.अ. 'ब'क्षेत्र जयपुर	राज आयु. चिकित्सालय बरकतनगर	36000/-
12439	जि.आ.अ. प्रतानगढ	राज आयु. चिकित्सालय प्रतापगढ	36000/-
12752	जि.आ.अ. राजसमन्द	राज आयु. औष. कांकरोली-राजसमन्द	36000/-
15810	जि.आ.अ. बाडमेर	राज आयु. चिकित्सालय एक छत बाडमेर	36000/-
16945	जि.आ.अ. भीलवाडा	राज जिला आयु. चिकित्सालय भीलवाडा	36000/-
5927	जि.आ.अ. भरतपुर	राज आयु. चिकित्सालय सिटी-भरतपुर	36000/-
6113	जि.आ.अ. जैसलमेर	राज जिला आयु. चिकित्सालय जैसलमेर	36000/-
		योग-	576000/-

1. प्रावधित राशि का उपयोग तथा पंचकर्म केन्द्रों हेतु अभ्यंग कार्य को बिना पद सृजित किये, आर.टी.पी.पी. रूल्स के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आउटसोर्स से जॉब बेसिस पर किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
4. नियमानुसार समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्मी व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर व्यय की कार्यवाही की जावे।
5. सम्बन्धित केन्द्र पर व्यय राशि का विवरण/सूचना वर्ष के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

वित्तीय सहायकार,

दिनांक: 4-9-17

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 16126

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग।
3. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी, ।
4. संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय जिला आयु. चिकि. /राज.आयु. चिकि. ।
5. प्रभारी, सांख्यिकी शाखा/लेखा-4 अंक मिलान शाखा कार्यालय हाजा
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

वित्तीय सहायकार,